रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 349] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 1986/आषाढ़ 25, 1908
No. 349] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 1986/ASADHA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

सा.का.नि. 946(अ):—केन्द्रीय सरकार, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है

जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबंध, सिवाए उसकी धारा 3 के, जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त होंगे।

[सं. एफ. 8(86)/79-आई. सी]
के. सी. डी. गंगवानी संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 1986

G.S.R. 946(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961), the Central Government hereby appoints the first day of August, 1986 as the date on which all the provisions of the said Act except section 30 thereof shall come into force in the State of Jammu and Kashmir.

[No. F. 8(26)|79-I.C.]
K. C. D. GANGWANI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986